संख्या– /XVI(1)/13/5(43)/10

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:1 देहरादून: दिनांक 20 अगस्त, 2013

विषय:–वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु कोरोगेटेड बॉक्स एवं एप्पल ट्रे की दरों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–325/उद्योग/13–14, दिनांक–20 जुलाई, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कोरोगेटेड बॉक्स/एप्पल ट्रे के कय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में तीन बार निविदा आंमत्रित किये जाने के उपरांत भी किसी फर्म द्वारा प्रतिभाग न किये जाने के दृष्टिगत, गत वर्ष में उपरोक्त सामग्रियों हेतु अनुमोदित दरों के आधार पर कय किये जाने की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि फल एवं सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण करने की योजना (जिला सैक्टर) के अन्तर्गत सेब उत्पादकों को 50 प्रतिशत राज सहायता पर कोरोगेटेड बाक्स एवं एप्पल ट्रे उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु बिना निविदा के कोरोगेटेड बाक्स हेतु रू0 43.65 प्रति की दर से एवं एप्पल ट्रे हेतु रू0 7.85 प्रति की दर से, जो गत वर्ष में उक्त सामग्रियों के कय हेतु शासनादेश संख्या–742/XVI(1)/11/5(43)/10, दिनांक–19 जून, 2012 के द्वारा विभागीय गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुमोदित की गई थी, पर कय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:–

1– सेब उत्पादकों द्वारा किसी भी फर्म से उक्त अनुमोदित दरों के आधार पर कोरोगेटेड एवं एप्पल ट्रे कय कर सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी को बिल प्रस्तुत किया जायेगा एवं जिला उद्यान अधिकारी द्वारा उक्त विषयक सत्यापन उपरान्त सम्बन्धित योजनान्तर्गत नियमानुसार अनुदान सम्बन्धित कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।
2– यह अनुमति वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए दी जा रही है।
3– उपर्युक्त कोरोगेटेड बॉक्स/एप्पल ट्रे का कय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
4– कोरोगेटेड बॉक्स/एप्पल ट्रे का कय/अनुदान बजट की उपलब्धता के आधार पर ही आधारित होगा।
5– आगामी वित्तीय वर्ष हेतु ई–टैण्डरिंग की व्यवस्था प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर ली जाय, जिसके लिये अग्रेत्तर किसी भी दशा में छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
6– इस सम्बन्ध में समस्त वित्तीय प्राविधानों/नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।
7– उक्त सामग्रियों के कय/अनुदान प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात आख्या से शासन को अवगत कराया जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–56/वित्त–4/2013–14, दिनांक–19 अगस्त, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

कमशः——2

संख्या–1609 /XVI(1)/13/5(43)/10,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा,देहरादून।

2– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।

3– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।

4– गार्ड फाईल (वित्तीय स्वीकृतियां)।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।